तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 2155 / चित्तौड़गढ़</u>** **माणकचन्द बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

<u>उपस्थित :–</u>
श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थी
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी

<u>दिनांक : 28 नवम्बर, 2019</u>

<u>निर्णय</u>

1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के निर्णय दिनांक 30–3–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, निम्बहेड़ा ने एक प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के समक्ष विरूद्ध निगराकार के पिता लादूराम व अप्रार्थी संख्या–2 व 3 अन्तर्गत धारा–41, 42, 43,46, 49,175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर कथन किये कि ग्राम बड़ोली घाटा तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी खसरा नम्बर–203 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा लादूराम व किशनलाल की खातेदारी में दर्ज है जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं एवं विपक्षी संख्या–3 व 4 काशीराम व लखमा अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। लादूराम को अपनी खातेदारी की भूमि अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति को कब्जे काश्त में देने व हस्तान्तरण करने का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 2155 / चित्तौड़गढ़</u>** **माणकचन्द बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार नहीं होने के बावजूद विपक्षी संख्या–1 मौजूदा प्रार्थीगण के पिता व पति ने अपनी काश्त की भूमि अप्रार्थीगण को अनरजिस्टर्ड दस्तावेज से दिनांक 4–6–1964 को 600/–रूपये एवं पुनः दिनांक 13–6–1997 को 10,000/–रूपये में बेचान कर कब्जा करा दिया एवं मौके पर वे ही काबिज हैं। लादूराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–42 व 49 के प्रावधान की अवहेलना की है। अतः विवादित भूमि सिवायचक दर्ज की जाकर कब्जा तहसीलदार को दिलवाया जाये। 3– प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षी संख्या–2 ने उपस्थित होकर दिनंक 25–2–2004 को एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि लादूराम का स्वर्गवास दिनांक 22–7–2001 को हो चुका है। मृतक के कायम मुकामन अभी तक रिकार्ड पर नहीं लिये हैं इसलिये दावा अबैठ हो गया है। इस पर तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मृतक लदूराम के कायम मुकामान बनाने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पैरोकार सरकार ने आदेश–23 नियम–3 सीपीसी का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण (Withdraw) प्रत्याहरण की इजाजत के साथ नया प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने उभय पक्ष की बहस सुनकर विपक्षी के प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 30–3–2005 द्वारा निरस्त कर दिया और पैरोकार सरकार को संशोधित वाद पत्र पेश करने का आदेश दिया। उक्त निर्णय दिनांक 30–3–2005 से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 2155 / चित्तौड़गढ़</u>** **माणकचन्द बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4– बहस उभयपक्ष सुनी गई। 5– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने आदेश–22 नियम–9 व आदेश–23 नियम–3 सीपीसी के प्रावधानों का अध्ययन किये बिना सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। लादूराम की मृत्यु प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुकी थी और मृतक के विरूद्ध प्रकरण पेश किया गया था जो खारिज होने योग्य था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों व कानूनी प्रावधानों को नजर अंदाज करके निगरानीधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। पैरोकार सरकार ने जब प्रकरण प्रत्याहरण (Withdraw) करने हेतु प्रस्तुत किया तो उसे स्वीकार कर प्रकरण खारिज किया जाना चाहिये था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पैरोकार सरकार को मृतक लादूराम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निर्णय पारित कर दिया। मृतक किशनलाल ने अपने जीवनकाल में एक रिलीज डीड दिनांक 22–1–2002 को प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित की जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या–1201 द्वारा राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर इन्द्राज कर दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा का निर्णय दिनांक 30–3–2005 निरस्त किया जाये। 6– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि निगरानीधीन निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है। तहसीलदार को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 2155 / चित्तौड़गढ़</u>** **माणकचन्द बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लादूराम की मृत्यु की जानकारी नहीं थी और जैसे ही जानकारी मिली उसने कायम मुकाम बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र बाबत अबेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया था वह विधि के विपरीत होने के कारण खारिज किया गया। जब प्रकरण में कई पक्षकार हों तो प्रकरण कभी अबेट नहीं होता है। अतः यह निगरानी प्रकरण में बेवजह देरी करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत की गई है जिसमें न कोई विधि का बल है और न ही यह सारगर्भित है। अतः निगरानी खारिज की जाये। 7– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 8– पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नकल जमाबन्दी संवत 2054 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 203 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा पर लादूराम, किशनलाल पिसरान मांगु भांबी साकिन निम्बाहेड़ा दर्ज है। बेचाननामा भी संलग्न है। जमाबन्दी व बेचाननामा के आधार पर विपक्षीगण को पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण प्रस्तुत होने के पश्चात ज्ञात हुआ कि लादूराम की मृत्यु हो चुकी है उसकी सूचना प्रार्थीगण ने दिनांक 25–2–2004 को दी। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30–3–2005 द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत दावा अबेटमेन्ट निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय विधिसम्मत, न्यायसंगत व तर्कसंगत है क्योंकि प्रकरण में लादूराम अकेला पक्षकार नहीं था, अन्य भी पक्षकार थे। निगरानीकर्ता का तर्क अगर मान भी लिया जाये तो भी केवल लादूराम के हिस्से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 2155 / चित्तौड़गढ़</u>** **माणकचन्द बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तक दावा अबेट होता, पूर्ण दावा अबेट नहीं होता। माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अनेक निर्णयों में अभिमत प्रकट किया है कि प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर होना चाहिये, न कि तकनीकी आधारों पर। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही व उचित है। 9– आरआरडी–2017 पेज–699 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिमत प्रकट करते हुये निर्णय पारित किया। इस प्रकरण में एक प्रतिवादी की मृत्यु हो गयी और उपखण्ड अधिकारी ने सम्पूर्ण वाद को अबेट कर दिया जो कि विधिसम्मत निर्णय नहीं था। वाद केवल मृतक व्यक्ति के अधिकारों तक ही अबेट किया जा सकता है, सम्पूर्ण नहीं। इसमें माननीय राजस्व मण्डल ने अभिमत प्रकट किया कि प्रकरण को तकनीकी आधारों पर निर्णीत नहीं करके गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। 10– अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्त को ध्यान में रखते हुये हमारा विनम्र मत है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। 10– फलस्वरूप निगरानी सारहीन व बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (**हरि शंकर गोयल**) **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टी.ए. / 2005 / 2155 / चित्तौड़गढ़</u>** **माणकचन्द बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए